र[illegible] सं. डी.एल.—33002/98
REGISTERED NO. D.L.—33002/98

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 1998/भाद्र 19, 1920 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 240
No. 155] DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 1998/BHADRA 19, 1920 [N.C.T.D. No. 240

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(शहरी विकास विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 10 सितम्बर, 1998

संख्या फा. 11 (10)/92-एल.एस.जी./पी.एफ/10960.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 29 जनवरी, 1997 को अधिसूचना एस.ओ. 68(ई)सं. यू. 14011/57/91-दिल्ली-2 के साथ पठित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 की उपधारा (2), (4) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की 24 फरवरी, 1997 की अधिसूचना सं. फा.11(10)/92-एल.एस.जी./पी.एफ.(4) के आंशिक संशोधन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वीरेन्द्र सिंह, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू. 69) को इस सरकार की 24 फरवरी 1997 की अधिसूचना सं. फा. 11(10)/92/एल.एस.जी./पी. एफ.(2) के अधीन गठित दिल्ली विद्युत बोर्ड का सदस्य नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आगे एतद्द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह, आई.एस.(ए.जी.एम.यू. 69) को श्री नवीन चावला के स्थान पर उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के उपराज्यपाल के आदेश से
तथा उनके नाम पर,

राधा नंजनाथ, विशेष सचिव

(URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Delhi, the 10th September, 1998

No. F. 11(10)/92-LSG/PF/10960.—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (2), (4) and (5) of section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification S.O. 68(E) No. U.14011/57/91-Delhi-II dated the 29th January, 1997 and in partial modification of this Government's notification No. F. 11(10)/92-LSG/PF(iv) dated the 24th February, 1997, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, appoints Shri Virender Singh, IAS (AGMU:69) to be a member of the Delhi Vidyut Board constituted under this Government's notification No. F.11(10)/92-LSG/PF(ii) dated the 24th February, 1997.

The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, further appoints Sh. Virender Singh, IAS (AGMU: 69), to be the Chairman of the said Board in place of Sh. Navin Chawla.

By order and in the name
of the Lt. Governor of the
National Capital Territory
of Delhi,

RADHA NANJANATH, Special Secy.

(गृह-III विभाग)

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 10 सितम्बर, 1998

संख्या फा. 16 (16)/97/गृह-3/आरआर/1902—11.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 24/78/68-डी एच (एस) दिनांक 24 सितम्बर, 1968 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से :—

(i) इसके साथ संलग्न अनुसूची में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत दिल्ली अग्निशमन सेवा के कार्यालय में सहायक मण्डल अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं के संबंध में नियम बनाते हैं, तथा

(ii) अधिसूचना सं. फा. 13(182)/90-एच.पी. II दिनांक 28 दिसम्बर, 1990 द्वारा अधिसूचित दिल्ली नगर निगम में सहायक मण्डल अधिकारी के पद के भर्ती नियमों को निरस्त करते हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान रु.	क्या पद चयनित है या बिना चयन	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	क्या अतिरिक्त वर्षों की सेवा का लाभ ग्राह्य है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक मण्डल अधिकारी (अग्नि)	14 * * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	''क'' वर्गीय गैर लिपिक राजपत्रित	रु. 2200-75-2300 ईबी-100-4000 +रु. 400 मासिक विशेष वेतन	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। टिप्पणी:—भारत में प्रत्याशियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि, आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि होगी। आसाम, मेघालय, मजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, एवं जम्मू कश्मीर राज्य का लद्दाख मण्डल, लाहोल व स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी तहसील, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहने वालों के लिए निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि, आयु सीमा निर्धारण हेतु लागू नहीं होगी।	लागू नहीं।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वाले उम्मीद्वारों पर भी लागू होगी ?	परिवीक्षा का समय यदि कोई है तो	भर्ती पद्धतिः सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)	(11)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अधिमानतः विज्ञान स्नातक या समकक्ष। (ii) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, से उच्चस्तरीय डिप्लोमा या मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग स्नातक (अग्नि) या इन्सटिट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियरस से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या इंसटिट्यूशन ऑफ फायर इंजिनियर्स (यू के) से मेम्बरशिप परीक्षा उतीर्ण या समकक्ष। (iii) उपरोक्त (ii) में शैक्षिक योग्यता प्राप्ति के बाद विख्यात अग्निशमन सेवा में अधिमानतः मैट्रोपोलिटन शहर में 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। (iv) न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड निम्नवत होना चाहिए— ऊंचाई—165 सेमी. वजन—50 किग्रा. सीना 86.5 सेमी. फुलाव के बाद, 81 सेमी. सामान्य। **विशेष 1**—चयनित/नियुक्त व्यक्ति को दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अस्पताल के चिकित्सक बोर्ड से, चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि उसके शरीर में या किसी अंग विशेष में कोई कमी तो नहीं है या व्यक्ति को /वंशानुगत बीमारी नहीं है। **विशेष 2**—शैक्षिक योग्यता में 'संघ लोक सेवा आयोग, के विवेकानुसार' छूट दी जा सकती है, यदि उम्मीदवार अन्य विशिष्ट योग्यता रखता हो। **विशेष 3**—'संघ लोक सेवा आयोग' के विवेकानुसार अनुभव के सम्बन्ध में, उम्मीदवारों को छूट दी जा सकती है । यदि चयन के स्तर पर 'संघ लोक सेवा आयोग' यह मानता है कि आरक्षित पदों को अपेक्षित योग्यता रखने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरा नहीं जा सकेगा।	आयु : नहीं। शैक्षिक अर्हताएं: कालम 12 में निर्दिष्ट अर्हताओं के अनुसार	सीधी भर्ती और पदोन्नति में एक वर्ष।	पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकाल के लिए अनुबंधित मिलाकर), दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा होनी हो तो, वे ग्रेड, जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना हो	यदि 'विभागीय पदोन्नति समिति' है ? तो उसकी संरचना क्या है ?	वे अवसर जिनमें 'संघ लोक सेवा आयोग' से नियम बनाने के लिए परामर्श लेना हो ?
(12)	(13)	(14)
पदोन्नति :—स्टेशन अधिकारी (अग्नि) के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा, इसके अभाव में कुल 10 वर्ष स्टेशन अधिकारी व उप अधिकारी के पद पर सेवा, न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित स्टेशन अधिकारी के पद पर सेवा के साथ निम्नलिखित योग्यताएं हों— उच्चस्तरीय डिप्लोमा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर से या समकक्ष । या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग स्नातक (अग्नि) या ग्रेज्युएट शिप परीक्षा, इन्सटिट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स (भारत) से उत्तीर्ण या समकक्ष। या इन्सटिट्यूट ऑफ फायर इन्जिनियर्स (यू.के) से मेंबरशिप परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष। **टिप्पणी :**—जहां अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ अधिकारीगण पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं, वहां पर उनके वरिष्ठ अधिकारीगण भी विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनकी अर्हक पात्रता सेवा की अवधि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा आधे से कम या दो वर्ष इनमें जो भी कम हो से न्यून है और आसन्न उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपने कनिष्ठ अधिकारीगण के साथ अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली है। जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पविधि अनुबन्ध सहित) :— 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघीय क्षेत्रों के नगर निगमों के अधिकारी (क) नियमित आधार पर समरूप पदधारी या 2. रु० 2000—3200 के वेतनमान में तीन वर्षीय नियमित सेवा या समकक्ष 3. रु० 1640—2900 के वेतनमान में आठ वर्षीय नियमित सेवा या समकक्ष (ख) कॉलम सं० 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले।	'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति निर्धारण हेतु :— 1. चैयरमैन/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—चेयरमैन 2. मुख्य सचिव, : दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र —सदस्य 3. प्रधान सचिव, दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र —सदस्य 'क' वर्गीय-विभागीय पदोन्नति समिति (स्थाईकरण निर्धारण हेतु :— 1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र —चेयरमैन 2. प्रधान सचिव— दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र —सदस्य 3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी —सदस्य **टिप्पणी**—विभागीय पदोन्नति समिति की सीधी भर्ती से सम्बन्धित स्थाईकरण की कार्यवाही की रिपोर्ट अनुमोदन हेतु आयोग को प्रेषित की जाएगी। बहरहाल यदि यह आयोग से अनुमोदित नहीं किये जाते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन या सदस्य की अध्यक्षता में, विभागीय पदोन्नति समिति की नए सिरे से बैठक होगी।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है।

[illegible]ीं को महानगर शहरों तथा अन्य विख्यात फायर ब्रि[illegible] संस्था/संस्थान में परिपत्रित किया जाना है।

नोट I: विभागीय अधिकारी जो संवर्ग से हैं तथा पदोन्नति के लिए सीधे पात्र हैं प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचारणीय नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार के पात्र नहीं होंगे।

नोट II: केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संस्थान/विभाग में या उसी संस्थान में किसी गैर संवर्ग में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की आयु सीमा अधिकतम आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

HOME-III DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 10th September, 1998

No. F. 16 (16)/97/H/III/R.R-1902-11.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No.F.24/78/68-DH(S), dated the 24th September, 1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to:—

(i) make the rules in the Schedule annexed hereto regarding the method of recruitment and qualifications necessary for the appointment to the post of Assistant Divisional Officer in the Office of Delhi Fire Service, Government of National Capital Terrritory of Delhi, and,

(ii) cancel the recruitment rules for the post of Assistant Divisional Officer in the Municipal Corporation of Delhi notified vide Notificatiion No. F. 13 (182)/90-H.P. II dated 28th December, 1990.

SCHEDULE

Name of post.	No of post.	Classification.	Scale of pay. (Rs.)	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added Yrs. of service admissible.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Divisional Officer (Fire).	14* 1997. *Subject to Variation Dependent on work load.	Group-A Gazetted Non-Ministerial	2200-75-2800-EB-100-4000 +Rs 400 (Spl. Pay)	Selection	Not Exceeding 35 years. Note 1 : Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Prasesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshdweep.	N.A.

2479 DS/98-2

Educational & other qualification reqd. for direct recruits.	Whether age & EQ. prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of prob. if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/Transfer and percentage of the vacancy to be filled by various Methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : (i) A degree preferably in science from a recognised university. (ii) Advanced diploma of National Fire Service College, Nagpur. OR, Bachelor of Engineering (Fire) from a recognised University. OR, Graduateship Examination of the Institution of Fire Engineers. OR Having passed Membership Examination of the Institution of Fire Engineers (U.K.) or equivalent. (iii)"5 years experience in Civil/Defence Fire Service, out of which at least 3 years experience should be in the capacity of Station Officer or equivalent." (iv) Should have minimum physical standard i.e. height - 165 cms., weight 50 kgs and Chest 86.5 cms (Expanded). Note I :- Person selected/appointed shall have to produce medical ceritificate from Medical Board of Government of NCT of Delhi to the effect that the individual is able bodied and does not have any deficiency in any limb and is not suffering from any contagious disease. Note II : Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P. S. C. in case of Candidates otherwise well qualified. Note III : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in case of candidates belonging to the Scheduled castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age : No Edu. Qualification; to the extent indicated in Col.12	1 year for Direct Recruits & Promotees	Promotion failing which by transfer on deputation (Including short term Contract) failing both by direct rectt.

...ase of rectt. by promotion/deputation/ ...fer, grades from which promotion/ Deputation/Transfer to be made.	If a DPC exits what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. to be consulted in making rectt.
(12)	(13)	(14)
PROMOITION:— Station officer (Fire) with 5 years regular service in the grade failing which 10 years combined regular service in the grade of station officer and sub-officer with a minimum three years regular service in the grade of station officer and possessing : Advanced Diploma of national fire service College; Nagpur or equivalent; OR Bachelor of Engineering (fire) from a recoginsed University; OR, Graduateship Examination of the Institute of fire Engineers (India) or equivalent; OR Passed Membership examination of the Institute of fire engineers, U.K. or equivalent. Note : Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibilty service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade. Alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Transfer on deputation :— (Including short-term contract) Officers of the Central/State Government/ U.Ts./ Municipal Corporation**; (a) (i) Hodlding analogous posts on regular basis; or (ii) With 3 years regular service in the posts in the scale of Rs. 2000-3500/2000-3200 or/ equivalent; or (iii) With 8 years regular service in the posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent; and (b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. ** Posts to be circulated to the Metropolitan cities and other well established fire brigade/ institutions. Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for Appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion.	CATEGORY 'A' DPC (for considering promotion) 1. Chairman/Member, UPSC—Chairman 2. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi—Member. 3. Principal Secretary/Secretary (Home)—Member. Category 'A' DPC considering Confirmation) 1. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi—Chairman 2. Principal Secretary/Secretary (Home)—Member. 3. Chief Fire Officer—Member. Note : The proceeding of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meetting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the U.P.S.C. shall be held.	Consultation with UPSC Necessary on each occasion.

Note II : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the central government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

फा. 8/96/98-एच पी./II/6600-07.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 11011/2/74-यू.टी.एल. (i) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल श्रीमती रानी जेठमलानी अधिवक्ता और उनके सहयोगी श्री पी.के.डे. अधिवक्ता जिनकी भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 की 45) की धारा 304 बी/498 ए के तहत थाना पटेल नगर, दिल्ली में दर्ज प्र.स. रि. संख्या 584/90 राज्य बनाम हरभजन कोर वाद में (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार) राज्य की ओर से सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय में संचालन हेतु दिनांक 3 मई, 1994 की अधिसूचना संख्या 8/96/94-गृ-पु. II द्वारा की गई विशेष लोक अभियोजकों के रूप में की गई नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हैं।

उपरोक्त वाद का (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) राज्य की ओर से माननीय जाँच न्यायालय के अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा आगे से प्रतिनिधित्व किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से
तथा उनके नाम पर
सी. बी. वर्मा, उप सचिव

F. 8/96/98 HP-II/6600-07.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affai\rs, Notification No. 11011/2/74-VII (1), dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to cancel the appointment of Smt. Rani Jethmalani, Advocate and her associate Shri P.K. Dey, Advocate with immediate effects, who were appointed as Special Public Prosecutor vide our notification number F.8/96/94-H.P. II, dated the 3rd May, 1994 to conduct the case FIR No. 584/90, P.S. Patel Nager, Delhi State Vs. Harbhajan Kaur under sections 304-B/498-A Indian Panel Code, 1860 (45 of 1860) in the Court of competent jurisdiction on behalf of State (Government of the National Capital Territory of Delhi).

Hence forth the State (Government of the National Capital Territory of Delhi) in the above case will be represented by Addl. Public Prosecutor of the learned Trial Court.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,
C. B. VERMA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.